

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1374/11-सी-FP/UP/water/155109/2022, लखनऊ, दिनांक: अक्टूबर 14, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,  
बुन्देलखण्ड वृत्त,  
झांसी।

विषय:- उ०प्र० जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना में पेय जल पाइप लाइन बिछाने में जनपद-जालौन में प्रभावित 4.7727 हे० संरक्षित वनभूमि बिना वृक्ष पातन के एवं जनपद-झांसी में प्रभावित 0.006 हे० संरक्षित एवं 0.75 हे० आरक्षित वनभूमि तथा बाधक 20 वृक्ष/पौधों के पातन अर्थात् कुल 5.5287 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 20 वृक्ष/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०८/१५५/२०२२/एफ०सी०/६०५, दिनांक १२.१०.२०२२ (छायाप्रति संलग्न) एवं उप वन संरक्षक, जालौन सा०वा० प्रभाग, उरई का पत्रांक-६११/३३-१, दिनांक १०.१०.२०२२

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा दिनांक ०६.१०.२०२२ को आहूत क्षेत्रीय सशक्त समिति की ७१वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर एक बिन्दु "1. Since as per information submitted 0.56 ha is not within diverted RoW, so CA scheme for the same needs to be submitted." पर सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में उप वन संरक्षक, जालौन सा०वा० प्रभाग, उरई के उपरोक्त पत्रांक-६११/३३-१, दिनांक १०.१०.२०२२ द्वारा सूचना एवं अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं/अभिलेख संलग्न नहीं हैं:-

1. चयनित सी०ए० स्थल की के०एम०एल० फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर संलग्न नहीं की गयी है। अतः तीन प्रतियों में संलग्न करें।
2. सी०ए० हेतु चयनित स्थल का प्राक्कलन, जीओ रिफरेंस डिजिटल मैप एवं टोपोशीट दो प्रतियों में प्रेषित की गयी है तथा जीओ रिफरेंस डिजिटल मैप की एक प्रति पर उप वन संरक्षक, जालौन के हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः प्राक्कलन व टोपोशीट की एक प्रति तथा जीओ रिफरेंस डिजिटल मैप की दो प्रतियाँ प्रेषित करें।
3. सी०ए० हेतु चयनित स्थल का प्राक्कलन, जीओ रिफरेंस डिजिटल मैप, टोपोशीट, के०एम०एल० फाइल, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं उससे सम्बन्धित विवरण ऑनलाइन भाग-२ में अपलोड भी करें।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण कर सूचना/अभिलेख तीन प्रतियों में संस्तुति सहित प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1374 / 11-सी-FP/UP/water/155109/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, जालौन एवं झांसी।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, उरई।



(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-II, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696  
Email: roc2.lko-mef@nic.in

पत्र सं० 8बी/यू०पी०/०८/१५५/२०२२/एफ०सी०/६०५

दिनांक : 12.10.2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,  
वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग,  
लखनऊ, उ०प्र०।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Water/155109/2022

विषय: उ०प्र० जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सला ग्राम समूह पेयजल योजना में पेयजल पाईप लाईन बिछाने में जनपद जालौन में प्रभावित 4.7727 हे० संरक्षित वनभूमि बिना वृक्ष पातन के एवं जनपद झांसी में प्रभावित 0.006 हे० एवं 0.75 हे० आरक्षित वनभूमि तथा बाधक 20 वृक्ष/पौधों के पातन अर्थात् कुल 5.5287 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 20 वृक्ष/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक—06.10.2022 की कार्यवाही (Agenda-71.2 U.P.)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी। प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 25.07.2022 द्वारा आवश्यक सूचनाएँ मांगी गई थीं।

अतः प्रकरण को दिनांक 06.10.2022 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था। जिसमें विचारोपरान्त प्रकरण में क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक (REC) दिनांक—06.10.2022 में लिखे गए निर्णय के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में निम्न सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई थी। कृपया निम्नलिखित बिन्दु पर सूचना शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराये जिससे की प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. Since as per information submitted 0.56 ha is not within diverted RoW, so CA scheme for the same needs to be submitted.

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाई कर, आवश्यक सूचना शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. अति० मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, जालौन वन प्रभाग, झांसी।
4. अधिशारी अभियन्ता निर्माण खण्ड उ०प्र० जल निगम, उरई।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)